सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश

विभाग द्वारा संचालित योजनायें व कार्यक्रम

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,उत्तर प्रदेश,
कानपुर–208005
दूरभाष– 0512–2218401, 2296835
फैक्स– 0512–2234956 / 2297481 / 2219288

email: diup123@rediffmail.com/ diup123@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय / योजना / कार्यक्रम	पृष्ठ संख्या
अ–	रोजगारपरक योजनायेंः–	
1–	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	1
2–	एक जनपद एक उत्पाद योजना	2
3–	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	3
4–	विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना	4
ब–	प्रशिक्षण कार्यक्रमः–	
5–	अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की योजना	5
6–	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम	6
7–	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	7
8–	हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन हेतु प्रशिक्षण योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना	8–9
स–	पेन्शन योजनायेंः–	
9–	हस्तशिल्प पेन्शन योजना	10
10–	मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेन्शन योजना	11
द–	अन्य योजनायेंः–	
11–	उ0प्र0सूक्ष्म एवं लघु तकनीकी उन्नयन योजना	12
12–	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना	13–14
13–	हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना	15
14–	औद्योगिक आस्थान / मिनी औद्योगिक आस्थान योजना	16–17
15–	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना	18
16–	उ0प्र0सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजना	19
17–	एकल मेज व्यवस्था / उद्योग बन्धु / निवेश मित्र योजना	20
य–	अन्य कार्यक्रमः–	
18–	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद(फैसिलीटेशन काउन्सिल)	21
19–	जेम पोर्टल	22
20–	सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना(उद्योग आधार मेमोरण्डम)	23

(1) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

- प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रविधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18–40 वर्ष के मध्य किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयनसमिति के माध्यम से चयनित तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही करायी जाती है।

(2) एक जनपद एक उत्पाद योजना–

प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दि0 24.01.2018 को ''एक जनपद एक उत्पाद'' नाम से एक महत्वाकॉक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापर्वूक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है ।

इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जायेगी।

अतः एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, स्टैंडअप तथा स्टार्टअप के माध्यम से डबटेलिंग करते हुए इकाईयों हेतु वित्त पोषण उपलब्ध कराया जायेगा। मेगा/क्लस्टर विकास योजना ट्रेड इन्फॉस्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम एवं निर्यात परक अवस्थापना सुविधा विकास योजना के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उद्यमिता विकास संस्थान एवं यूपी इन्स्ट्रीटयूट ऑफ डिजाइन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से समन्वय करते हुए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ विपणन सुविधाओं के विकास हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर विपणन सुविधाओं का विकास किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं हस्तशिल्पी इकाईयों को विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग/एक्सपोजर विजिट/स्टडी टूर के माध्यम से उत्पादकों को अपने उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादित किये जाने एवं विपणन/निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे– कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम (ओ0डी0ओ0पी0) के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के समग्र विकास की कड़ी में वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने उद्देश्य से चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना' संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त क्लेम के विरूद्ध विभाग द्वारा मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

(3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।
- योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा– अनु0जा0/ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि व्दारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है।
- प्रदेश में योजना का कियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है।

(4) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं सम्वर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है। इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा वे अपनी आजीविका सुगमता से चला सकेंगे।

(5) अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति युवक/युवतियों को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में से की जा सके। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे– बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रेक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साडियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है।

(6) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 से विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए कियान्वित की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। प्रशिक्षणोपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित है। गठित समिति के द्वारा उक्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त राजकीय/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय पर नवयुवक अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कुशलता बढ़ाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेड्स आच्छादित हैं :–

प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निर्धारित ट्रेड्सः–

1– बढ़ई
2– प्लम्बरिंग
3– सुरक्षा गार्ड
4– मेडिकल नर्सिंग (आया)
5– दुपहिया वाहन रिपेयरिंग
6– पंचर रिपेयरिंग
7– ट्रैक्टर रिपेयरिंग
8– बिजली मोटर रिपेयरिंग
9– बिजली के छोटे–मोटे सामान बनाने एवं रिपेयरिंग का कार्य
10– राज मिस्त्री
11– बांसबेंत
12– कालीन एवं दरी बुनाई
13– बोरिंग मिस्त्री
14– लेथ मशीन मैकेनिक
15– इलैक्ट्रीशियन
16– साड़ियों की कढ़ाई, छपाई
17– टेलरिंग
18– स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य कोई ट्रेड

योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जायेगी है। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सम्बन्धित ट्रेड्स में आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है।

(7) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना को संचालित की जा रही है।

औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा कराया जाता रहा है।

(8) हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे–धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं। इस प्रशिक्षण में नवीनतम तकनीकी एव उन्नत किस्म के औजारों/उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता हैं। इस हेतु निम्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैंः–

(अ) हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजनाः– यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के दिशा निर्देशन व संरक्षण में संचालित करायी जाती है।

(ब) निर्यात बाजार हेतु डिजाईन वर्कशाप योजनाः–यह योजना भी प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नियमित एवं स्पॉसंर्ड वर्कशॉप आयोजित कराना है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहॉ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियॉ बनाई जा रही है, संचालित कराई जाती है। इसके योजनान्तर्गत वही पात्र होते हैं जो हस्तकला/निर्यात से सम्बद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं। इसमें किसी शैक्षिक योग्यता एवं आयु का कोई प्रतिबन्ध नही है, किन्तु वर्कशाप में ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाता है जो नई डिजाइनों के विकास एवं उन्हें अपनाने में रूचि रखते हैं अथवा जिन्हें निर्यातक प्रायोजित करते हैं।

- योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप के माध्यम से हस्तशिल्पियों की क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

(9) विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना

- शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प कला एवं कला कृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलायी है, परन्तु शिल्पकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। गिरते स्वास्थ्य एवं बढती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवन काल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से शिल्पकारों के लिए यह योजना संचालित की गयी है।
- योजनान्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्पपुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को रू0 2000/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, इस हेतु शिल्पकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष तथा अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(10) मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना–

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं परम्परिक कलाओं को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उ0प्र0सरकार द्वारा दिनॉक 13.12.2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्र्तगत चयनित हस्तशिल्पी को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो(महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो।

(11) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं तकनीकी उन्नयन योजना

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2017 के प्रस्तर–9.1 में प्रदेश सरकार की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को पुनर्निर्मित करते हुए शासनादेश सं0–2/2019/093/18–2– 2019–30(26)/2003, दि0 15.02.2019 द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था की गई है जिससे महत्तम ढंग से उच्चीकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे–उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा दक्षता, गुणात्मक पैकेजिंग परीक्षण सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। इस योजना को दो श्रेणियों के उद्योगों–सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिए क्रियान्वयन का निर्णय निम्नवत् लिया गया है।

- पूँजी उपादान सहायता– तीन वर्ष से संचालित एवं कार्यरत ऐसी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों जो तकनीकी उन्नयन हेतु इच्छुक होगी उन्हें 50 प्रतिशत पूँजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0.5.00 लाख तक होगी। पूँजी उपादान प्लांट मशीनरी एवं उपकरण खरीद पर ही दिया जायेगा।
- ब्याज उपादान सहायता– मशीनों के क्रय हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज का 50 प्रतिशत ब्याज उपादान के रूप में दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख (प्रतिवर्ष) होगी। यह सुविधा अधिकतम 05 वर्ष तक दी जायेगीं।
- मानक,प्रकिया,अनुरूपता एवं अन्य प्रमाणीकरण सहायता।
- उद्यम स्रोत योजना(ई0आर0.पी0) व्यवस्था सहायता।
- कन्सल्टेंसी/ब्रांण्डिंग सहायता।
- बौद्धिक सम्पदा प्रमाणीकरण सहायता।

(12) सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ भारत सरकार के परिपत्र संख्या टी0एम0/ यू0एन0डी0/2005, दिनांक 14.03.2006 के द्वारा किया गया जिसका मूल उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में इकाईयॉ अपनी उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता का उच्चीकरण कर सकें। यह योजना सार्वजनिक निजी सहभागिता की मंशा पर आधारित है, ताकि क्लस्टर्स के विकास एवं प्रबन्धन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठायी जाये। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसे भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। क्लस्टर प्रोजेक्ट में केन्द्रांश, राज्यांश एवं क्लस्टर एस0पी0वी0 का योगदान होता है। सामान्यतः केन्द्रांश 70 प्रतिशत, राज्यांश 10 प्रतिशत, एस0पी0वी0 की सहभागिता 20 प्रतिशत रखी गयी है।

(13) हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

- उ0प्र0 में विभिन्न हस्तशिल्प जैसे– कालीन, चूडी, ताला, जरी जरदोजी, हैण्डलूम, चिकन कारीगरी, स्टोन कार्विंग, बुड कार्विंग, ब्लैक पाटरी, बेंतवास, लकडी के खिलौने, टेराकोटा पीतल की कला, जूटवॉल हैगिंग, पतंगकासा, पंजादरी पाटरी आदि क्षेत्रों में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी है। ये अपना अमूल्य सहयोग देकर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके इतर अधिकॉशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द होते हुए भी अत्यन्त गरीब है। हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल के विपणन में सहायता के लिए इस योजना को संचलित किया गया है।

- प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टाल के किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 20,000/– की धनराशि राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

(14) औद्योगिक आस्थान/मिनी औद्योगिक आस्थान

- औद्योगिक आस्थान योजना का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। औद्योगिक आस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लघु उद्योगों को विकसित भूखण्ड/शेड एवं अवस्थापना सुविधा आदि उपलब्ध कराना था तथा लघु उद्योग की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपदों में तहसील स्तर पर मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गयी है।
- औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड/शेडों का आवंटन प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्धता के आधार पर आवेदन पत्र देना होता है, जिसका निस्तारण जिला उद्योग बन्धु की बैठक में किया जाना प्राविधानित है। विभाग व्दारा प्रदेश में 78 बृहद् औद्योगिक आस्थान एवं 161 मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये गये हैं जिनमें विकसित भूखण्डों/शेड्स के आवंटन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(1) वृहत औद्योगिक आस्थान

- कुल विकसित भूखण्ड/शेड– 3647/985
- कुल आवंटित भूखण्ड/शेड– 3597/970
- कुल रिक्त भूखण्ड/शेड– 36/09

(2) मिनी औद्योगिक आस्थान

- कुल विकसित भूखण्ड/शेड– 7924/ –
- कुल आवंटित भूखण्ड/शेड– 6372/ –
- कुल रिक्त भूखण्ड/शेड– 1535/ –

(15) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना–

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कार्पोरेट लुक देते हुए उद्यमियों को कॉनसेप्ट से मार्केट तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किये जाने हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण की योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आधुनिकीकृत एवं उच्चीकृत किये जाने वाले मेरठ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर जनपदों के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के लिए रु0 400.00 लाख बजट स्वीकृत किया गया।

(16) उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजना

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2009 से संचालित है।

- योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु निम्नवत् श्रेणियों के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है :–

1.उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कारः–रू0 1.25 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र। यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाईयों में से मास्टर तालिका के अंको व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिये जाते है।

2.सूक्ष्म उद्योग श्रेणीः– पुरस्कार – प्रथम– 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
द्वितीय – 40,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

3.लघु उद्योग श्रेणीः– पुरस्कार– प्रथम – 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
द्वितीय – 40,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

4.मध्यम उद्योग श्रेणीः– पुरस्कार– प्रथम – 50,000 (नगद),पदक ,प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
द्वितीय – 40,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

5.सर्विस क्षेत्रः– पुरस्कार– प्रथम – 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
द्वितीय – 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

6. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कारः–अनु0जाति/जनजाति – 50,000 (नगद),पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र महिला उद्यमी – 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

7. सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पादः–कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 25,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।

8. सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कारः– कुल पुरस्कारों की संख्या–12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 25,000 (पदक, प्रशस्ति पत्र)।

- उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 37 उद्यमियों को, वर्ष 2016–17 में 33उद्यमियों को वर्ष 2017–18 में 20उद्यमियों को, एवं वर्ष 2018–19 में 20उद्यमियों को, पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2019–20में उद्यमियों को, पुरस्कृत किये जाने कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(17) एकल मेज व्यवस्था, उद्योग बन्धु एव निवेश–मित्र

- प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुकर (फैसिलीटेट) कराने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था प्रभाव में है।
- इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए शासनादेश सं0–730/77–6–13–13(एम)/12(ए) दिनांक 20–05–2013 के माध्यम से राज्य, मण्डल व जिला उद्योग बन्धु समितियों का पुनर्गठन करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु एवं जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
- एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश–मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाइट **niveshmitra.up.nic.in** पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एन0ओ0सी0 आदि प्राप्त कर सकते

(18) फैसिलिटेशन कॉउन्सिल

- वृहद एवं मल्टी नेशनल कम्पनियों की उच्च प्रतिस्पर्धा एवं कार्यशील पूँजी की कमी से जूझ रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा आपूर्तित माल / सेवाओं के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा रोके गये भुगतान विषयक व्यवसायिक विवादों के निस्तारण हेतु विशेष केन्द्रीय अधिनियम–2006 (एम0एस0एम0ई0डी0 ऐक्ट–2006) के प्रावधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य माइक्रो एण्ड स्माल इण्टरप्राइजेज फैसिलिटेशन कॉउन्सिल का गठन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में किया गया।
- काउन्सिल एक ''स्टेटयूटूरी आब्रीट्रल ट्रिब्यूनल'' के रूप में प्रदेश की सीमा में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों का निस्तारण करती है, जिन्होंने माल/सेवा आूपर्ति के पूर्व स्थानीय जिला उद्योग केन्द्र से स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये थे तथा उक्त अधिनियम–2006 के प्रभाव में आने में उपरान्त उद्यमी ज्ञापन–2 प्रस्तुत कर अभिस्वीकृति –2 प्राप्त कर लिये हैं।
- फैसिलिटेशन नियमावली–2007 के अनुसार काउन्सिल की न्यूनतम एक बैठक प्रत्येक माह आहूत किये जाने का प्रावधान है।

(19) ई–मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल)

भारत सरकार द्वारा शासकीय क्रय हेतु पारदर्शी एवं गुणवत्ता परख व्यवस्था के अर्न्तगत सामान्य क्रय व्यवस्था लागू की गयी है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अंगीकृत किया गया है उ0प्र0 में जेम सेल लखनऊ में स्थापित किया गया है। जेम सेल द्वारा 70 विभागों के 5000 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले स्तर पर क्रेताओं और विक्रेताओं के लिये कार्यशालायें आयोजित करायी जा रही हैं। उ0प्र0 जेम के अर्न्तगत 29 जनवरी 2019 तक 62035 आर्डर प्लेस किये गये, जिसमे 1567.47 करोड़ के आर्डर पूर्ण हुये हैं। जिले स्तर पर मांग के अनुसार प्रशिक्षित टीम को भी भेजा जाता है।

उत्तर प्रदेश को सरकारी विभागों में देश में सबसे अधिक जैम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

(20) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना

- उद्यमियों व्दारा अपनी उद्यम स्थापना के क्रम में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट–2006 के प्राविधानों के अनुसार उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 जिला उद्योग केन्द्रों में दाख़िल किये जाते थे। अब इस व्यवस्था को सरलीकृत कर भारत सरकार द्वारा ''उद्योग आधार मेमोरेण्डम'' (यूएएम) नई व्यवस्था दिनॉक 18.09.2015 से लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस व्यवस्था को दिनॉक 24.11.2015 को अंगीकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमी **udyogaadhar.gov.in** वेबसाइट पर जाकर एक पेज के प्रोफार्मे पर अपने उद्योग की जानकारियों को भरकर अपना उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑन–लाइन रूप से तत्काल प्राप्त कर सकते हैं।